



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-8

पावती सं०.....
(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(1) और 26 देखें)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान ।
मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए ।	
(क) नाम	
(ख) उप नाम (यदि कोई हो)	
(ग) निर्वाचक नामावली के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	
निर्वाचक नामावली की भाग सं. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
(घ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)	
(ङ.) कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं नाम <input type="text"/> फोटो <input type="text"/> ईपीआईसी <input type="text"/> पता <input type="text"/> जन्म की तारीख <input type="text"/> आयु <input type="text"/> संबंधी का नाम <input type="text"/> संबंध का प्रकार <input type="text"/> लिंग <input type="text"/>	
शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टि में शुद्ध विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-	
(च) ई-मेल आई डी (वैकल्पिक)	
(छ) मोबाइल सं. (वैकल्पिक)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।	
स्थान.....	
तारीख	आवेदक के हस्ताक्षर.....

क्षेत्र स्तरीय सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी :

--

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है)

प्ररूप 8 में निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए श्री/श्रीमती/कुमारीका आवेदन स्वीकृत/नामंजूर कर दिया गया है।

[नियम 18/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] स्वीकार करने या [नियम 17/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :

स्थान:

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा

किए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभिलेख में उपलब्ध/आवेदक दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारीका प्ररूप 8 में आवेदन

वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है ।

मकान सं.

निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी द्वारा
प्रेषण के समय डाक
टिकट चस्पा किए
जाने हैं

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र

नगर/ग्राम

डाकघर

पिन कोड

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

जिला

राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0 के भाग सं. की क्रम सं. को तदनुसार उपांतरित कर दिया गया है ।

(ख)कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है ।

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता.....

पावती/रसीद

पावती सं. _____

तारीख _____

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ है ।

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/ हस्ताक्षर